

Form No. III  
फर्द—अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

न्यायालय लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी  
(राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

मुकाम चित्तौड़गढ़

कपील राव कदम

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका  
निम्बाहेडा

कार्यवाही अन्तर्गत :- धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

किस्म मुकदमा

अपील (सूचना का अधिकार)

नं०

015

सन्

2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.03.2024	<p>सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील प्राप्त हुई जो पेश हुई। अपीलार्थी कपील राव कदम पिता यशवन्तराव कदम निवासी मीणों की बावडी साईं नगर निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (मोबाईल 9929170444) ने सूचना प्राप्ति हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यह प्रथम अपील प्रस्तुत की है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा हस्तगत प्रथम अपील सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका निम्बाहेडा को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 19.01.2024 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा प्रेषित सूचना पत्रांक/नपानि/RTI/2023-24/8585 दिनांक 02.02.2024 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।</p> <p>अपीलार्थी को वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका निम्बाहेडा से प्राप्त सूचना से असंतुष्ट होने पर अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत हस्तगत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। यहाँ उल्लेखनीय है कि यह प्रथम अपीलीय न्यायालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर ही प्रथम अपील ग्रहण करता है। हस्तगत प्रकरण में प्रथम अपील लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका निम्बाहेडा के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है एवं लोक सूचना अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका निम्बाहेडा लोक सूचना अधिकारी(राजस्व) की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते हैं। ऐसी स्थिति में लोक सूचना अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका निम्बाहेडा के विरुद्ध सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत अपील की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अतः हस्तगत प्रथम अपील क्षेत्राधिकारिता को बिन्दु पर इस न्यायालय में पोषणीय नहीं होना पाया जाता है। अतः अपीलार्थी को संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>उपर्युक्त विश्लेषण के साथ के आधार पर अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील क्षेत्राधिकारिता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से खारीज की जाती है, अपीलार्थी को सक्षम संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है। अहकाम की प्रतिलिपि अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक के निःशुल्क प्रेषित की जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें।</p>	

-S/D-

(आलोक रंजन)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी

जिला कलक्टर

चित्तौड़गढ़

07.03.2024

